

राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा सप्ताह 24 से 30 दिसम्बर तक

By : Deepak Published On : 21 Dec, 2013 06:00 AM IST



आई एन वी सी, चण्डीगढ़, पंजाब सरकार ने राज्यभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा सप्ताह 24 से 30 दिसम्बर तक मनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रति वर्ष 24 दिसम्बर, 2013 को राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष खपतकार दिवस का विषय इम्पावरिंग कन्ज्यूमर यूनिवर्सललिटी ऑफ कन्ज्यूमर राईट निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा सप्ताह राज्यभर में 24 से 30 दिसम्बर तक मनाया जाएगा। प्रवक्ता अनुसार राज्यभर में उपभोक्ता दिवस दौरान साहित्य बांटा जाएगा और उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों, कालेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में उपभोक्ता सुरक्षा दिवस संबंधी पोस्टर, लेख और क्वीज़ मुकाबले करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उपरोक्त संबंधी राज्य के समूह प्रबंधकीय सचिवों, समूह मंडलों के कमिश्नरों और समूह डिप्टी कमिश्नरों को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/राष्ट्रीय-उपभोक्ता-सुरक्षा/>